

नव भारत

2

पूर्व से पश्चिम तक प्रलय का दहशत

4

अयोध्या के बाद क्या अब मथुरा की बारी!

9

भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

10

भारत ने जिम्बाब्वे को रौंदा

फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन : मोदी नीट पेपर लीक के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा



नई दिल्ली 23 जुलाई. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) पेपर लीक मामले को लेकर हो रहे व्यापक प्रदर्शनों के बीच पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, मामले के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. श्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, देश के युवाओं का



हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस संबंध में निर्देश दे दिए गये हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें. विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है.

वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

पेपरलीक और छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका वाड़ा समेत विपक्ष के नेताओं ने गुरुवार शाम को सोनिया गांधी के निवास पर बैठक के बाद घर से गांधी स्मृति तक मार्च निकाला। उनके साथ शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (एसपी), टीएमसी, जेएमएम, आरजेडी, लेफ्ट, समाजवादी पार्टी और आइयूपएल के नेता भी शामिल हैं।

विपक्ष ने लगातार चौथे दिन गुरुवार को भी दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया जिसके कारण तीन बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी। वहीं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीजेपी के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान

युवाओं का हित मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता

गृहमंत्री अमित शाह ने हाल ही में सोशल मिडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि युवाओं का हित और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी. प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री मोदी का यह महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा.

देश में पहली बार पेपर लीक के खिलाफ कानून

वर्ष 2024 में देश में पहली बार पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए सख्त केंद्रीय कानून पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 बनाया गया। जिसके तहत 3 से 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है। वहीं, यदि कोई संगठित गिरोह या संस्थान पेपर लीक में शामिल पाया जाता है, तो 5 से 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना। संगठित अपराध में शामिल पाए जाने वाले संस्थानों या लोगों की संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है। इसे 21 जून 2024 की आधी रात से ही पूरे देश में लागू किया गया था।

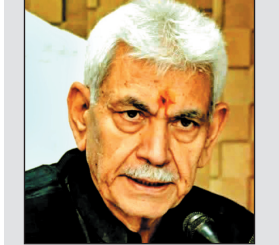


एफडीआई नियमों में बदलाव विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां भारत में बनाएंगी उत्पाद

नई दिल्ली, 23 जुलाई. केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों में अहम बदलाव करते हुए विदेशी निवेश वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को इन्वेंट्री आधारित मॉडल के तहत भारत में निर्मित उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति दे दी है. हालांकि भारत के घरेलू उपभोक्ताओं को इसी मॉडल के तहत सीधे सामान बेचने पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा.

अब तक विदेशी निवेश वाली ई-कॉमर्स कंपनियां भारत में इन्वेंट्री आधारित मॉडल पर कारोबार नहीं कर सकती थीं. इस मॉडल में कंपनी स्वयं सामान खरीदती है, उसे अपने गोदाम में रखती है और फिर सीधे ग्राहकों को बेचती है. नए नियम के तहत यदि उत्पाद भारत में निर्मित है और उसे केवल निर्यात के लिए भेजा जाना है, तो इस मॉडल की अनुमति होगी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल निर्यात गतिविधियों तक सीमित है. विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां भारत में अपने स्टॉक से सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री नहीं कर सकेंगी और घरेलू बाजार में इन्वेंट्री आधारित मॉडल पर प्रतिबंध यथावत रहेगा.

एक नजर में



सिन्हा ने उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक की

नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुरुवार को श्रीनगर के लोक भवन में सुरक्षा स्थिति और चल रही अमरनाथ यात्रा की समीक्षा के लिए एक हाई-लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की. अधिकारियों ने बताया कि बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और यह बुधवार दोपहर अनंतनाग के लाल चौक इलाके में हुए आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी के मारे जाने के एक दिन बाद हो रही है.

गुस्ताखी माफ



इंदौर को मिली बड़ी सोगात

यूसीसी को मिला व्यापक जन समर्थन : डॉ. मोहन यादव

नवभारत न्यूज़ इंदौर, 23 जुलाई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को इंदौर के बहुप्रतीक्षित लवकुश लेवल-2 डबल लेयर फ्लाईओवर की एक लेन का लोकार्पण कर उसे यातायात के लिए खोल दिया। उज्जैन की ओर से अरविंदो अस्पताल से मारीमाता की दिशा में शुरू हुई इस लेन के मार्ग होने से इंदौर-उज्जैन चालू पर यातायात अधिक सुगम, सुरक्षित और तेज होगा।

मुख्यमंत्री आज पत्रा में

पत्रा, 23 जुलाई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शुक्रवार, 24 जुलाई को पत्रा जिले के प्रवास पर रहेंगे। अपने इस संक्षिप्त दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पत्रावासियों को करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. यादव दोपहर 01.50 बजे भोपाल से वायुयान द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 02.35 बजे खजुराहो विमानतल पहुंचेंगे। इसके बाद वे दोपहर 02.45 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर अपराह्न 03 बजे पत्रा हेलीपैड पर उतरेंगे।

पुलिस में 9,662 पदों को एक दिन में मंजूरी

चार आदेशों में मंजूर हुए पद

गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार वर्ष 2026 में मध्यप्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों में कई पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें अराजपत्रित सुबेदार (शीघ्र लेखक) के 135 पद और सहायक उपनिरीक्षक के 520 पद सहित कुल 655 पदों को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा सूबेदार के 81, उपनिरीक्षक जिला पुलिस बल के 312, उपनिरीक्षक विसबल के 69, उपनिरीक्षक वयुडी के 4, अंगुल चिन्ह के 22, आयु के 10 और फोटो शाखा के 9 पदों सहित कुल 507 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने तीन दिन पहले पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा था कि प्रदेश पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बनाने के लिए भर्ती, पदोन्नति और

ओबीसी की 51% आबादी को महज 14% आरक्षण

किस आधार पर तय किया गया प्रतिशत

हाईकोर्ट में आगामी सुनवाई 28 जुलाई, 23

जबलपुर, 23 जुलाई। मप्र हाईकोर्ट में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण से जुड़े प्रकरणों की सातवें दिन गुरुवार को भी सुनवाई जारी रही। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष हुई सुनवाई दौरान सर्व प्रथम ओबीसी आरक्षण के विरोध में दायर सभी मामलों में सुनवाई हुई, जिसके

आरक्षण के आंकड़े

उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी 15.6 फीसदी है, जबकि इनका आरक्षण 16 फीसदी है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 21.01 फीसदी व आरक्षण 20 फीसदी है। वहीं सामान्य वर्ग की आबादी महज 13 फीसदी है, जबकि इन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10 फीसदी आरक्षण है। जबकि ओबीसी की आबादी 51 फीसदी है, लेकिन इन्हें आरक्षण मात्र 14 फीसदी ही है।

पश्चात् ओबीसी आरक्षण के समर्थन तथा आबादी के अनुपात में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर विचार हुआ। याचिकाकर्ता संस्था एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता

440 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर

14.52 किलोमीटर लंबी बिछेगी तीसरी रेल लाइन

नई दिल्ली, 23 जुलाई. भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे के निमपुरा वेस्ट आउटर केबिन और निमनपुर के बीच 14.52 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन बिछाने की 440 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है.

इस परियोजना का उद्देश्य व्यस्त रेल कॉरिडोर की क्षमता बढ़ाना, यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही को अधिक सुगम बनाना तथा परिचालन दक्षता में सुधार करना है. हाई-डेंसिटी रूट की क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम-आधिकारिक बयान के अनुसार, यह परियोजना हाई-डेंसिटी रेल मार्गों पर नेटवर्क क्षमता बढ़ाने की भारतीय रेलवे की व्यापक योजना का हिस्सा है. परियोजना पूरी होने के बाद इस मार्ग पर हर वर्ष अतिरिक्त लगभग 3.52 मिलियन टन (एमटीपीए) माल ढुलाई की क्षमता विकसित होगी, जिससे उद्योगों और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को गति मिलेगी.

सोनम की जमानत रद्द, तीन सप्ताह में सरेंडर के आदेश

तकनीकी आधार पर जमानत देना उचित नहीं

6 महीने में ट्रायल पूरा करने सुको ने दिए निर्देश

नव भारत न्यूज़ इंदौर. चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मेघालय पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोनम की जमानत रद्द कर दी. कोर्ट ने उसे तीन सप्ताह के भीतर

लंबी दूरी की मिसाइल कुशा का सफल परीक्षण

नई दिल्ली, 23 जुलाई. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल कुशा का गुरुवार को पहला सफल उड़ान परीक्षण किया. डीआरडीओ के अनुसार यह परीक्षण ओडिशा के तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परीक्षण को अहम उपलब्धि करार देते हुए इससे जुड़े वैज्ञानिकों की टीम को बधाई दी है. श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, डीआरडीओ ने आज ओडिशा के तट पर स्थित एपीजे



अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुशा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया.